मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः14.08.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी उसके सम्पूर्ण अवशेष जीवन अवधि के लिए आजीवन कारावास एवं ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ 0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी “पीयूष मोर्डिया ” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट , हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा 0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को उसके सम्पूर्ण अवशेष जीवन अवधि के लिए आजीवन कारावास एवं ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः15.04.2022 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु 0अ0सं0-87/2022 धारा 376एबी भादवि व 5m/5p/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा 0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म की उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एसपीपी सुनीता गुप्ता , विवेचक- निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया , पैरोकार- आरक्षी अनिल विश्वकर्मा तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी बिट्टू सिंह व महिला आरक्षी शिवानी सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्त को अंतर्गत धारा 376 एबी भादवि सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में उसके सम्पूर्ण अवशेष जीवन अवधि के लिए आजीवन कारावास एवं ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

अलोपी शंकर शुक्ला पुत्र गंगा सागर शुक्ला निवासी जगापुर मिश्रान थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।